न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 610/2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
हुकमा पुत्र दमा मेघवाल निवासी गोदारों का तला (मांगता) तहसील धोरीमना, जिला बाडमेर राजस्थान		1. गुमना पुत्र धुड़ा 2. दला पुत्र धुडा के का0मु0– 2/1 नारायणा पुत्र स्व0 दला 2/2 लिछमणा पुत्र स्व0 दला 2/3 चनणा पुत्र स्व0 दला 2/4 केसा पुत्र स्व0 दला 2/5 वाली बेवा स्व0 दला 3. खेराज पुत्र सुरता 4. हीरो बेवा सुरता **(विलोपित)** 5. रामा उर्फ राजा पुत्र धन्ना 6. रावता पुत्र धन्ना (जाति मेघवाल, निवासी गोदारो का तला,(मांगता) तह0 धोरीमना, बाडमेर) प्रफार्मा पक्षकार– 7. भगा पुत्र दमा 8. मगा पुत्र दमा 9. मोडी बेवा दमा 10. पेमा पुत्र मोटा (जाति मेघवाल, निवासी गोदारों का तला, (मांगता) तह0 धोरीमना, बाडमेर) 11. तहसीलदार धोरीमना (बाडमेर)

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अपर कलेक्टर बाडमेर (ए.डी.एम.) दिनांक 08.09.2017 राजस्व प्रथम अपील संख्या 22/2016 अनवान गुमना व अन्य बनाम भगा वगैरा

उपस्थित–
1. श्री रूपाराम मूंढण, वकील अपीलांट्स
2. श्री सुगनमल परिहार, वकील रेस्पो0 सं0 1 से 3 एवं 5 व 6
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 11 की ओर से

निर्णय

दिनांक 24.11.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने अपर कलेक्टर बाडमेर द्वारा राजस्व अपील संख्या 22/2016 अनवान

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

गुमना व अन्य बनाम भगा वगैरा में पारित आदेश दिनांक 08.09.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट एवं रेस्पों0 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि तहसील धोरीमना के ग्राम गोदारो का तला (मांगता) में खसरा नम्बर 209 व 228 कुल रकबा 210 बीघा 15 बिस्वा का पर्चा लगान जारी किया गया था, परंतु वक्त सेटलमेंट वादग्रस्त खसरान में से 1/2 हिस्सा मोटा पुत्र पीरा एवं 1/2 हिस्सा धूड़ा, सुरता पि0 पीरा कौम भांभी के नाम मिसल बन्दोवस्त जारी हो गई, जबकि अपीलांट व रेस्पो0 का बराबर 1/3 हिस्सा है। उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि के हक–हकूक की घोषणा के लिए सहायक कलेक्टर गुडामालानी वर्तमान में सहायक कलेक्टर धोरीमना में वाद संख्या 17ए/2015 गुमना बनाम दला वगैरा तथा दमा बनाम गुगना के नियमित वाद संख्या 365/2015 विचाराधीन है। उक्त वादों के विचाराधीन रहते हुए तहसीलदार धोरीमना ने दिनांक 23.06.2016 को लोक अदालत में एकपक्षीय शुद्धि पत्र संख्या 01 दिनांक 23.06.2016 पारित कर वादग्रस्त खसरान में मोटा वल्द पीरा 1/2 एवं धुडा, सुरता पि0 पीरा 1/2 हिस्सा पारित कर दिया गया। तहसीलदार धोरीमना के उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पो0–अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाडमेर के समक्ष राजस्व प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जिसमे पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.9.17 द्वारा अपील स्वीकार कर, शुद्धि पत्र आदेश दिनांक 23.6.16 को अपास्त कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर रेस्पो0सं0 2–अपीलांट– हुकमाराम ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0–अपीलांट ने इस आधार पर राजस्व प्रथम अपील प्रस्तुत की गई कि वक्त सेटलमेंट वादग्रस्त खसरान में से 1/2 हिस्सा मोटा पुत्र पीरा एवं 1/2 हिस्सा धूड़ा, सुरता पि0 पीरा कौम भांभी के नाम मिसल बन्दोबस्त जारी की गई उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि के हक–हकूक की घोषणा के लिए सहायक

खण्ड सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

कलेक्टर गुडामालानी वर्तमान में सहायक कलेक्टर धोरीमना में वाद संख्या 17ए/2015 गुमना बनाम दला वगैरा तथा दमा बनाम गुगना के नियमित वाद संख्या 365/2015 विचाराधीन है। उक्त वादों के विचाराधीन रहते हुए तहसीलदार धोरीमना ने दिनांक 23.06.2016 को लोक अदालत में एकपक्षीय विधि विरूद्ध शुद्धि पत्र संख्या 01 दिनांक 23.06.2016 पारित कर दिया गया, जिसे निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत अपील में (प्रफार्मा रेस्पो0/अपीलांट) भगा वगैरा द्वारा प्रस्तुत तर्को व दस्तावेजों पर मनन नही कर, शुद्धि पत्र अपास्त कर दिया गया, जिससे अपीलांट के हक–हकूक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सेटलमेंट से पूर्व अपीलांट एवं रेस्पो0सं0 7 से 10 के वालिद पूर्व पुरूष मोटा पुत्र पीरा ख0नं0 227 रकबा 08 बिस्वा में ढाणी बनाकर निवास करते थे तथा रेस्पो0सं0 1 व 2 के पिता धूडा पि0 पीरा एवं रेस्पो0सं0 3 से 6 के पिता सुरता पि0 पीरा साथ–साथ एक ढाणी खसरा नं0 229 रकबा 6 बिस्वा में निवास करते थे। वक्त सेटलमेंट संवत 2012 में ग्राम दूदिया तहसील बाडमेर के खसरा नं0 209 रकबा 31 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा नं0 228 रकबा 179 बीघा कुल रकबा 210 बीघा 15 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा पर कब्जाकाश्त अनुसार अपीलांट एवं रेस्पो0सं0 7 से 10 के वालिद पूर्व पुरूष स्व0 मोटा वल्द पीरा के नाम 1/2 हिस्सा का तथा रेस्पा0सं0 1 से 6 के पूर्व पुरूष क्रमशः धूडा व सूरता पि0 पीरा के नाम 1/2 हिस्से का पर्चा लगान विधिसम्मत जारी किया गया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया।

रेस्पो0सं0 1 व 2 क्रमशः गुमना व दला पि0 धूडा ने न्यायालय सहा0 कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी. एक्ट के तहत राजस्व वाद संख्याा 17ए/2015 पेश किया, जिसमें वादग्रस्त ख0नं0 209, 228 की कुल रकबा भूमि में वादी–रेस्पो0सं0 1 व 2 का हिस्सा 1/2 में यानि वादी सं0 1 का 1/8 हिस्सा व वादी सं0 2 का हिस्सा 1/8 तथा प्रतिवादी–अपीलांट व रेस्पो0सं0 7 से 10 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 3 सुरता का हिस्सा 1/4 गांव गोदारों का तला में होने का उल्लेखित कर, हिस्सेनुसार घोषणा बंटवाडा की इस्तदुआ चाही गई है। वाद में रेस्पो0सं0 3 से 6 (प्रतिवादी सं0 3 के का0मु0) द्वारा

त सम्भागीय आयुक्त
...पुर

जवाब दावा व प्रति दावा पेश किया गया, जिसमें खेत खसरा नं0 209, 228, 229 कुल रकबा 211.01 मौजा गोदारों का तला में 1/4 हिस्सा, वादी–रेस्पो0सं0 1 व 2 व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी–अपीलांट व रेस्पो0सं0 7 से 10 का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी–रेस्पो0सं0 3 से 6 का उल्लेखित किया गया। जिसे बयानों में स्वीकार किया गया है तथा सहायक कलेक्टर द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.9.2004 में भी रेस्पो0सं0 1 व 2 (वादी) का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 से 7 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 (अपीलांट व रेस्पो0सं0 7 से 10) का 1/2 हिस्सा, संयुक्त खातेदारी में घोषित हिस्सों के मालिक मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार पृथक से विभाजन पुस्तक तहसीलदार गुडामालानी से मंगवाया गया। उक्त वाद पत्र, जवाब दावा, प्रतिदावा बयान गवाहान न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री को अपनी स्व0 प्रेरणा से नकारा नही जा सकता, जिसे अनदेखा किया गया। वाद संख्या 209/03 की प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 21.9.04 की पालना में फर्द मौका एवं नक्शा दिनांक 16.3.06 को मौके पर बनी ढाणियां एवं कब्जा काश्त अनुसार विभाजन पुस्तक तैयार किया गया, जिसमें सभी पक्षकारान ने सहमत होकर सही होना स्वीकार किया है। जिसमें अपीलांट एवं रेस्पो0सं0 7 से 10 का 1/2 हिस्सा स्पष्ट रुप से अंकित है तथा रेस्पो0सं0 1 से 6 सहमत है। कालांतर में राजस्व कार्मिकों की भूलवश हुई अशुद्धि को सही करने हेतु अपीलांट ने तहसीलदार धोरीमना के समक्ष आवेदन मय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, जिसकी जांच उपरांत शुद्धि पत्र सं0 1 दिनांक 23.6.16 पारित किया गया, जो विधिसम्मत होने से यथावत रखने योग्य है। रेस्पो0सं0 3 से 6 उक्त वाद की कार्यवाही के समस्त दस्तावेज के विबन्ध के सिद्धान्त (इस्टोपल) के अनुसार बाध्य होने से नया वाद या कार्यवाही में उसी बात को लेकर फिर से नया वाद कार्यवाही में नया बयान नही दे सकते तथा नई वाद कार्यवाही नही की जा सकती है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

वकील अपीलांट ने माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के पत्रांक 10164– 96 दिनांक 26.9.17 द्वारा जारी सेग्रीगेशन कार्य में आ रही समस्याओं के

...त सम्भागीय आयुक्त
...धपुर

निराकरण हेतु दिशा–निर्देश की प्रति प्रस्तुत कर, उक्त शुद्धि पत्र तहसीलदार की अधिकारिता में होना बताया गया।

जवाब में रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि वादग्रस्त खसरान की भूमि राजस्व रेकर्ड में वक्त सेटलमेंट मोटा पि0 पीरा 1/2 एवं धूडा, सुरता पि0 पीरा 1/2 के नाम दर्ज थी। इस भूमि के संबंध में घोषणा के वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन रहते तहसीलदार धोरीमना द्वारा शुद्धि पत्र दिनांक 23.6.16 को लोक अदालत में पारित कर दिया गया। जिसके लिए रेस्पो0 ने कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया था एवं न ही तहसीलदार धोरीमना द्वारा रेस्पो0 को सुनवाई का कोई अवसर दिया गया। अपीलांट व रेस्पो0 के जो हक–हकूक दावों से तय हो रहे थे, वो शुद्धि पत्र से नही हो सकते। वादग्रस्त खेतों का मिसल बंदोबस्त मोटा, धुडा, सुरता पि0 पीरा के नाम जारी है, यदि किसी पक्षकार को वक्त सेटलमेंट के इन्द्राजों में कोई रद्धोबदल किया जाना है, तो इसके लिए नियमित घोषणा का वाद ही विधिसम्मत प्रकिया है। प्रकरण में न्यायालय सहायक कलेक्टर धोरीमना में विचाराधीन नियमित वाद में तहसीलदार धोरीमना भी पक्षकार होने के बावजूद, उनके द्वारा उक्त विधिक प्रकिया के विरूद्ध शुद्धि पत्र दिनांक 23.6.16 पारित कर दिया गया। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत परिपत्र दिनांक 26.9.17 इस मामले में लागू नही होता है। अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध हस्तगत अपील रेस्पो0सं0 2–हुकमा द्वारा ही प्रस्तुत की गई है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो0–अपीलांट द्वारा रेस्पो0सं0 1 से 5 के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी, शेष की आपत्ति प्रकट नही है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में नियमित वाद विचाराधीन होने एवं सेटलमेंट के 67 साल बाद तहसीलदार धोरीमना द्वारा दिनांक 23.6.16 को शुद्धि पत्र द्वारा राजस्व रेकर्ड में रद्धोबदल करना विधिसम्मत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसे अपास्त कर दिया गया, जिसे यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 11 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

क्षेत्रीय आयुक्त

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अपील संख्या 22/2016 बअनवान गुमना व अन्य बनाम भगा वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.09.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24-11-25 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर